**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1135**

**20.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**विदेशों में रोजगार को विनियमित करने के लिए नीतियां**

**1135. डा. प्रकाश बांडा:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशों में रोजगार को विनियमित करने के लिए वर्तमान नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विगत एक वर्ष के दौरान इसके लिए कोई नई नीति लाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विदेशों में रोजगार में लगे श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) मंत्रालय ऐसे अशिक्षित कामगारों को परेशानी रहित पासपोर्ट और प्रलेखन सुविदाओं को किस तरह से सुनिश्चित करेगा?

**उत्तर**

**विदेश राज्य मंत्री**

**[जनरल (डा.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त)]**

(क) से (घ) पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान सरकार ने विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों का कल्याण तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनका शोषण रोकने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत संधार की स्थापना की है। हमारे कामगारों के कल्याण व उनकी सुरक्षा हेतु की गर्इ प्रमुख पहल निम्नवत हैं-

**मदद :** मदद पोर्टल कोंसली शिकायतों का निवारण करने और विदेशों में कोंसली सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। मदद पोर्टल को र्इ-माइग्रेट प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

**र्इ-माइग्रेट प्रणाली :** र्इ-माइग्रेट पोर्टल एक आनलाइन प्लेटफार्म है जो र्इसीआर देशों में श्रमिकों की भर्ती में शामिल सभी हितधारकों को साथ लाता है। इसकी शुरुआत से 2 मिलियन से अधिक उत्प्रवास स्वीकृति (र्इसी) जारी की गर्इ है। लगभग 1300 भर्ती एजेंट और लगभग 1,60,000 विदेशी नियोक्ता र्इ-माइग्रेट पर पंजीकृत हैं। र्इसीआर श्रेणी के कामगारों के पासपोर्ट ब्यौरों का सत्यापन करने के लिए इस पोर्टल को पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) से जोड़ दिया गया है। इस प्रणाली को आप्रवासन ब्यूरो से भी जोड़ दिया गया है।

**महिला कामगारों के हितों की रक्षा :** मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार र्इसीआर देशों में प्रवासी रोजगार हेतु जाने वाली र्इसीआर श्रेणी की महिला कामगारों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। प्रवासी रोजगार हेतु उनका उत्प्रवास केवल राज्य द्वारा संचालित सात नामोद्दिष्ट भर्ती एजेंसियों या र्इ-माइग्रेट प्रणाली पर पंजीकृत विदेशी नियोक्ता के माध्यम से ही किए जाने की अनुमति है। विदेशी नियोक्ता द्वारा सीधी भर्ती किए जाने के मामले में उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय द्वारा उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान किए जाने से पहले गंतव्य देश में स्थित भारतीय मिशन द्वारा कार्य संविदा का सत्यापन और 2500 अमरीकी डालर की बैंक गारंटी जमा कराना अनिवार्य है।

**भारतीय समुदाय कल्याण कोष :** 1 सितंबर, 2017 से व्यापक रूप से संशोधित किए गए आर्इसीडब्ल्यूएफ के दिशा-निर्देशों ने व्यथित भारतीय नागरिकों के लाभ हेतु कोष के माध्यम से प्रदान की जा सकने वाली यथा स्थान कल्याणकारी गतिविधियों को बहुत बढ़ा दिया है। इस दिशा-निर्देश में तीन मुख्य क्षेत्र शामिल हैं जैसे संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना (भोजन एवं आवास, हवार्इ किराया, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखरेख, पार्थिव शरीर को ले जाना), सामुदायिक कल्याणकारी गतिविधियां और कोंसुली सेवाओं में सुधार। वर्ष 2014 से इस योजना के अंतर्गत लगभग 90,000 भारतीय नागरिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

**प्रवासी भारतीय बीमा योजना :** प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवार्इ) प्रवासी रोजगार हेतु र्इसीआर देशों में जाने वाले उत्प्रवास जांच अपेक्षित (र्इसीआर) श्रेणी के कामगारों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसमें दुर्घटना से हुर्इ मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपए का बीमा कवर और दो/तीन वर्षों की अवधि के लिए 275रु./375रु. के नामिनल इंश्योरेंस प्रीमियम पर कुछ अन्य लाभ का प्रावधान है। 1 अगस्त, 2017 से इस योजना को और सशक्त किया गया है। इस योजना में अब नियोक्ता या स्थान के निरपेक्ष ग्लोबल कवरेज का प्रावधान है और इसमें आनलाइन नवीकरण की सुविधा है तथा इसका उद्देश्य दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।

**प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) और अन्य सहायता :**  प्रवासी कामगार नर्इ दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) से सहायता ले सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं जो अलग-अलग भारतीय भाषा में 24X7 सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कोच्ची, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नै और लखनऊ में क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र हैं। विदेशों में, रियाद, जेद्दा, दुबर्इ, शारजाह, और क्वालालम्पुर में भी पीबीएसके कार्य कर रहे हैं। हमारे मिशनों और केंद्रों में टोल-फ्री हैल्पलाइन भी उपलब्ध है जो नियमित आधार पर ओपन हाउसेज का आयोजन भी करते हैं। शेल्टर होम की भी स्थापना की गर्इ है।

**प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण :**  इस वर्ष की शुरुआत से खाड़ी क्षेत्र में जाने वाले कामगारों के लिए एक-दिवसीय प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (पीडीओटी) की शुरुआत की गर्इ है। अब तक 30,000 से अधिक कामगारों को एक-दिवसीय पीडीओटी प्रदान किया गया है। वर्तमान में, दिल्ली और मुम्बर्इ प्रत्येक में दो-दो केंद्र और कोच्ची में एक केंद्र कार्यरत हैं।

**(ङ)** देश के विभिन्न भागों में 10 उत्प्रवासी संरक्षी (पीओर्इ) कार्यालय हैं जिनका उद्देश्य हमारे प्रवासी कामगारों को आवश्यक सहायता और दस्तावेज संबंधी सहायता प्रदान करना है। पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों के नेटवर्क के द्वारा पूरे देश में 300 से अधिक केंद्र खोलकर अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। कोच्ची, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नै और लखनऊ में क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके) भी कार्यरत हैं।

\*\*\*\*\*